राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
लेखा एवं वित्त विभाग

क्रमांक :– ले.वि./2021/ दिनांकः

परिपत्र

सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन भुगतान आदेश एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान समय पर किये जाने के सम्बन्ध में सभी ईकाई नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जो निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :–

1. कर्मचारी लेखा एवं वित्त विभाग की पेंशन शाखा से पेंशन कुलक एंव पी.एफ. शाखा से ग्रेच्यूटी प्रपत्र सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व प्राप्त करेंगे।
2. पेंशन कुलक एंव ग्रेच्यूटी प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरे तथा निर्धारित अदेय प्रमाण पत्र फार्म पर सभी आवश्यक कार्यालयों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
3. पूर्णरूप से भरे गए पेंशन कुलक तथा ग्रेच्यूटी प्रपत्र मय वांछित दस्तावेजों एवं अदेयता प्रमाण पत्र के साथ कम से कम दो माह पूर्व कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत किया जावें।
4. कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पेंशन कुलक एवं ग्रेच्यूटी प्रपत्र की जांच संस्थापन शाखा द्वारा की जायेगी तथा अनुभाग में उपलब्ध कर्मचारी की सेवापुस्तिका/निजी पंजिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर्मचारी की पेंशन/ग्रेच्यूटी के लिए अर्हकारी सेवाओं की गणना की जायेगी। पेंशन/गेच्यूटी के लिए अर्हकारी सेवाओं की गणना के समय संस्थापन शाखा द्वारा पेंशन रेगुलेशन संख्या 2, 3 (12,13), 20 (I,II), 21, 22 (I, II), 23 (I,II) के प्रावधानों को ध्यान में रखा जायेगा।
5. संस्थापन शाखा द्वारा पेंशन कुलक/ग्रेच्यूटी प्रपत्र का परीक्षण कर अर्हकारी सेवाओं के आधार पर कर्मचारी पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे। पेंशन के लिये निर्धारित अर्हकारी सेवाएं ग्रेच्यूटी के लिए भी यथास्थिति मानी जायेगी।
6. संस्थापन शाखा द्वारा पेंशन स्वीकृति जारी कर पेंशन कुलक/गेच्यूटी प्रपत्र वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार कार्यालय को कम से कम एक माह पूर्व भेजे जायेंगे।
7. लेखा एवं वित्त कार्यालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर अर्हकारी सेवाओं के आधार पर जारी पेंशन स्वीकृति के तदनुरूप पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जायेंगे।

8. पेंशन भुगतान आदेश के अनुरूप ग्रेच्यूटी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी तथा सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी को पेंशन भुगतान आदेश तथा ग्रेच्यूटी का चैक प्रदान किया जायेगा।
9. यदि कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय आवास में निवास कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी को नियत समय पर पेंशन भुगतान आदेश एवं ग्रेच्यूटी भुगतान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय आवास को रिक्त कर सम्बन्धित कार्यालयों का अदेय प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में ही प्रस्तुत करना होगा अन्यथा समय पर भुगतान के लिए विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लेखा शाखा सेवानिवृत्ति के दिन उन्हीं कर्मचारियों का पी.एफ.व ग्रेच्यूटी के भुगतान चैक तैयार कर पायेगा, जिनके पेंशन कुलक मय नो–ड्यूज व ग्रेच्यूटी फार्म इत्यादि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति दिनांक से कम से कम 01 माह पूर्व प्राप्त हो जाऐंगे।

—sd—

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :– ले.वि./2021/1986–2066 दिनांकः 8/4/2021

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रेप्रेषित हैं :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, वि.वि. शैक्षिणिक/अशैक्षणिक विभाग, राज. वि.वि.,जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघठक महाविद्यालय, राज. वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, वि.वि. केन्द्र/पी.जी. स्कूल्स इत्यादि, राज. वि.वि. जयपुर।
4. समस्त उप–कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
5. कुलपति के निजी सचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
6. व.निजी सहायक–कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

8/4/21

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

D:\Prem Computer Data\Word Files\Letter(H).doc